विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

357

465

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

II/निग०/रीवा/2018/01539

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

रमाकान्त शुक्ला पिता रामगोपाल शुक्ला उम्र55 वर्ष, पेशा खेती , निवासी ग्राम जोरी तह०हुजूर जिलारीवा म०प्र० --पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

1. शासन म०प्र० द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा गिर्द

2. जीतेन्द्र शुक्ला पिता श्री कृष्णाकान्त शुक्ला निवासी ग्राम जोरी तह०हुजूर जिला रीवा म०प्र० --गैरपुनरीक्षणकर्ता

आवेदक की ओर से श्री अशोक तिवारी एड. द्वारा पेश। 5-3-18

5.3.18

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा गिर्द के प्रकरण क्रमांक 140अ12/2016-17 पारित निर्णय दिनांक 22/6/2017 आदेश प्राप्ति दि. 19/2/2018

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959ई०।

मान्यवर,

संक्षिप्त तथ्य:-

(क) यह कि आवेदक एवं अना०क्र०2 के पिता कृष्णाकान्त सगे भाई है व उपरोक्त पते के निवासीगण है। जिनके द्वारा असा पूर्व पुस्तैनी आराजियातों का वटवारा कर अपने अपने प्राप्त हिस्से में काबिज दखील होकर कृषि कार्य करते आ रहे है। आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 को प्राप्त आराजियातों कासिी भी आराजी का आज दिनांक तक नक्शा तरमीम नही हुआ है। कुछ आराजियों के अंश भाग पर म०प्र०शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा रिंग रोड का निर्माण किया जा चुका है जिसमें आवेदक व अनावेदक क्रमांक 2 की आराजी का जुज रकवा रोड निर्माण में चला गया है रोड से लगी आराजी

रमाकान्त शुक्ला

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक [illegible] / निग0 / रीवा / भू—रा0 / 2018 / 1539 जिला—रीवा

रमाकांत शुक्ला / शासन, जीतेन्द्र शुक्ला

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, गिर्द तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 140 / अ—12 / 2016—17 में पारित आदेश दिनांक 2[illegible].06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	